चण्डीगढ़, दिनांक 22 दिसम्बर 2016

सं. 382/पीडी-774/एपीडी-5—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा-79 की उप-धारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारियों (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 में संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) ये विनियम भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 2016 कहलाएंगे।

(2) ये इनके सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारियों (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 में, विनियम-11 में, शब्दों, अक्षरों, ब्रेकट तथा अंकों "पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई अन्य सभी रियायतों में आरक्षण होगा। पंजाब अनुसूचित जाति और पिछडी श्रेणी (आरक्षण) अधिनियम, 2006 के उपबन्ध लागू होंगे" को "अन्य सभी रियायतों में आरक्षण इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप होगा" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

तरूण अग्रवाल
सचिव, बीबीएमबी

टिप्पणी:—

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड श्रेणी-। एवं श्रेणी-।। अधिकारी (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 2015 भारत के राजपत्र के भाग-।।।, खण्ड-4 में दिनांक 10 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 176/पीडी-774/एपीडी-4 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।